

marketing season was remunerative and fully covered the cost of production and also provided reasonable return to the farmers. Even after excluding the State bonus of Rs. 5/- per quintal, the increase in the procurement price for the 1992-93 rabi season was 22.22% over the minimum support price of the 1991-92 rabi season. Hence Government had ensured that remunerative prices were paid to farmers.

Apart from 6.4 million tonnes of wheat procured this year for the Central Pool at the above prices, Government has not deemed it desirable to purchase any additional quantity within the country at a higher price because such a step would not have increased the total quantity of wheat but would only have contributed to sharp rise in the open market price of wheat and caused serious hardship to consumers particularly the poorer sections.

#### राजस्थान में पुराने स्मारकों और मूर्तियों का संरक्षण

\*67. श्री शिवचरण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजपूत काल के पूर्व ऐतिहासिक स्थलों, किलों और स्मारकों के संरक्षण/सुधार के लिए राज्य-वार क्या व्यवस्था की गई है;

(ख) हाड़ोती, मेवाड़ और पूर्वी राजस्थान के अन्य स्थानों यथा कराँली, धौलपुर क्षेत्रों, विशेष रूप से ब्याना, आर्गरी और तिमनगढ़ स्थित पुराने स्मारकों के संरक्षण के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) क्या सरकार का इन स्थानों की मूर्तियों, जिन्हें चुरा कर अन्य देशों में ले जाया जा रहा है, की रक्षा के लिए कोई कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अपने 16 मंडलों, 2 लघु मंडलों, रासायनिक शास्त्र और उद्यान शास्त्र के जरिए भारत के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के राष्ट्रीय महत्व के घोषित ऐतिहासिक स्थानों, किलों और स्मारकों, जिनमें राजपूत काल के पूर्व

के भी शामिल हैं, की सुरक्षा/प्रतिरक्षा और देखभाल सुनिश्चित की जाती है ।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हाड़ोती, मेवाड़ और पूर्वी राजस्थान के अन्य भागों, जो भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधो-पुर जिलों में शामिल हैं, के राष्ट्रीय महत्व के 64 स्मारक/स्थलों को संरक्षण प्रदान किया गया है । प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अनुसार आर्गरी और तिमनगढ़ स्थित स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में अधि-सूचित नहीं किया गया है ।

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा कुली-बिहारी मूर्तियों को चोरी और तस्करी से बचाने एवं रोकने के लिए पहले ही जो कदम उठाए गए हैं, वे समा-पटल पर रखे विवरण में दिए गए हैं ।

#### विधरण

भारत सरकार द्वारा केंद्रीय संरक्षित स्मारकों से मूर्तियों को चोरी और तस्करी से बचाने और रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृत अधिनियम, 1972 को लागू करना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न-लिखित प्रावधान हैं :—

(i) कुछ श्रेणियों की पुरा-वस्तुओं (सभी तरह की मूर्तियाँ, कलात्मक सज्जित और सजावटी पांडुलिपियाँ) का पंजीकरण अधिकारियों के पास अनिवार्य रूप से कराना;

(ii) इस प्रकार का पंजीकृत पुरा-वस्तुओं के लाने-ले जाने के बारे में पंजीकरण अधिकारियों को अवगत कराना;

(iii) पुरा-वस्तुओं के व्यापार को लाह-सेस-प्राप्त व्यापारियों तक सीमित रखना;

(iv) पुरा-वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध बनाना;

(v) कुछ मंडल स्थानों में पहरा और निगरानी प्रबंधों के सुदृढीकरण तथा

सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के अलावा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रणधीन कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों में सशस्त्र पहरेदारों की तैनाती ।

(vi) मूर्ति-शेडों और स्थल संग्रहालयों का निर्माण ।

2. वर्ष 1977 में, भारत ने सांस्कृतिक परिसम्पत्तियों के अवैध आयात, निर्यात और स्थानान्तरण को रोकने के साधनों पर ब्रुलाए गए थुनेस्को सम्मेलन का अनुमोदन किया है । सम्मेलन, अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात का भी प्रावधान करता है कि संबिदाकारी पक्षकार संबंधित देशों की चुराई गई सांस्कृतिक परिसम्पत्तियों के अपनी सीमाओं के अंदर अवैध आयात को रोकने तथा ऐसी चुराई गई परिसम्पत्तियों के पता लगाने एवं वापस दिलवाने के लिए कदम उठाएंगे । तथापि, सम्मेलन के अधीन संबिदाकारी पक्षकारों के अधिकार हस्ताक्षर करने के बाद से प्रभावी होंगे, न कि पीछे से ।

3. पुरा-वस्तुओं की चोरी और नष्ट होने के मामलों को पता लगाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो में "पुरा-वस्तु कक्ष" खोला गया है ।

4. बिखरी हुई मूर्तियों, कलाचित्रों, संरक्षित पांडुलिपियों इत्यादि के प्रलेखन के लिए पहले ही कदम उठा लिए गए हैं ।

5. जो वस्तु, पुरा-वस्तुएं हैं; उनका पता लगा कर उनके अवैध निर्यात को रोकने के लिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की मदद हते महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और हवाई बंदरों पर अपने अधिकारी तैनात किए हैं । और, भारत के महत्वपूर्ण कस्बों में विशेषज्ञ सलाहकार समितियां गठित की गई हैं ताकि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का पता लगाया जा सके कि क्या कोई वस्तु "प्रावर्ष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972" के अन्तर्गत वस्तु है ?

विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन इस प्रकार है :—

(1) अधीक्षक पुरातत्वविद्,

(2) निदेशक, राज्य पुरातत्व विभाग अथवा उसका प्रतिनिधि, और

(3) सहयोजित सदस्य-क्षेत्र के विशेषज्ञ ।

असंरक्षित स्मारकों/स्थलों पर बिखरी मूर्तियों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार को सलाह दी जाती है कि वह उन्हें संग्रहालयों में भेज दे ।

Payment of dues to cultivators of sugar-cane.

\*68. SHRIMATI VEENA VERMA :  
CHOWDHRY HARI SINGH :

Will the Minister of FOOD be pleased to state :—

(a) what was the aggregate amount of arrears due from sugar mill owners for payment to sugarcane farmers, State-wise at the end of March, June and September this year;

(b) whether non payment and acute delays in the payment of such dues have given rise to violent agitations in different parts of the country; and

(c) what steps have been taken by Government to ensure prompt payment of such dues and for clearance of arrears of dues ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI) : (a) to (c) Arrears of cane price payable as on 31-3-1992 by sugar factories to farmers during 1991-92 season (October 1991 to September 1992) as reported by the sugar factories were Rs. 606.38 crores. State-wise details of these arrears, as on 31-3-1992 may be seen in the Annexure [See Appendix CLXV, Annexure No. 12]. Data of these arrears as on 30-6-1992 and 30-9-1992 is not readily available as records were destroyed in a fire in Krishi Bhavan and information is being collected from the sugar factories.